कार्यालय, नगरपालिका परिषद, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर

10 अक्टूबर, 2017 ई0

सं0 307/न0पा0परि030/2017-18-संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की यू०पी० ऐक्ट संख्या 2, 1916 की धारा 298(2) खण्ड (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये नगरपालिका परिषद्, अकबरपुर, अम्बेडकरनगर विज्ञापन शुल्क वसूली हेतु निम्निलिखित नियमावली प्रस्तावित करती है। नियमावली का प्रारूप उक्त ऐक्ट की धारा 301 (1) के अधीन समस्त नगर निवासियों को सूचना एवं आपत्तियों की दृष्टि से दैनिक समाचार-पत्र अमर उजाला में 20 मई, 2017 को प्रकाशित कराया गया हैं निधारित अवधि में प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर दिया गया अतः यह नियमावली गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रमावी मानी जायेगी।

नगरपालिका परिषद्, अकबरपुर जिला अम्बेडकरनगर (समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों से मिन्न विज्ञापनों पर कर निर्धारण और उसे वसूल करना) विज्ञापन कर नियमावली, 2017

- 1-(1) यह नियमावली नगरपालिका परिषद्, अकबरपुर, जिला अम्बेडकरनगर (समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों से भिन्न विज्ञापनों पर कर निर्धारण और उसे वसूल करना) विज्ञापन कर नियमावली, 2017 कही जायेगी।
 - (2) इसका विस्तार नगरपालिका परिषद्, अकवरपुर के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा।
 - (3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगा।
 - 2-परिभाषायें-जब तक कि विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में-
 - (1) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।
 - (2) "विज्ञापनकर्ता" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसे इस नियमावली के अधीन विज्ञापन को लिखकर या लटकाकर या विपकाकर या बोर्ड या विज्ञापन पट्ट लगाकर प्रदर्शित करने की अनुमित दी गयी हो, या उसने इसके लिये आवेदन किया हो और इसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति का अभिकर्ता, प्रतिनिधि या सेवक भी सम्मिलित है।

3-संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारम्भ-

(1) "पालिका" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, अकबरपुर, जनपद अम्बेडकरनगर से है।(2) "कर" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 128 के अधीन विज्ञापन पर अधिरोपित कर से है।

(3) "अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, अकबरपुर के अधिशासी अधिकारी से है।

(4) "प्रशासक / बोर्ड" का तात्पर्य नगरपालिका परिषद्, अकबरपुर के प्रशासक / बोर्ड से है।

(5) "अध्यक्ष / प्रशासक / प्रभारी अधिकारी" से तात्पर्य नगरपालिका परिषद, अकबरपुर के अध्यक्ष / प्रशासक / प्रभावी अधिकारी से है ।

(6) "शासनादेश" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश शासनः से जारी आदेशों / निर्देशों से है।

(र) "विज्ञापन" का तात्पर्य प्रदर्शित विज्ञापन के साथ ही विज्ञापन प्रदर्शक संरचनाओं (स्ट्रैक्चर) से भी है।

(1) अधिशासी अधिकारी से लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति नगरपालिका की सीमा के भीतर किसी भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ, उपरिगामी, सेतु या उससे संलग्न भूमि, पेड़, नगर प्राचीर, बाउन्ड्रीवाल, नगर द्वार, विद्युत/टेलीफोन के खम्मे, चल वाहनों या किसी भी खुले स्थान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार का चित्र, जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञापन होने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा न लमायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा।

(2) अधिशासी अधिकारी की लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये कोई भी व्यक्ति या किसी भवन संरचना का स्वामी भवन संरचना के किसी ऐसे भाग पर जो सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दिखाई देता हो, कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न सम्प्रदर्शित करेगा, न लगायेगा, न चिपकायेगा, न चित्रित करेगा, न लटकायेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा विज्ञापन परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, सम्पदर्शित करने, चित्रित करने, चित्रित करने या लटकाने की अनुज्ञा देगा, बिना अनुमित ऐसा करने पर

विज्ञापन पटट एवं उसके स्ट्रक्चर को जब्त करने का अधिकार पालिका के पास सुरक्षित रहेगा

(3) अनुज्ञा के लिये विहित प्रपत्र से आवेदन-पत्र चिपकाने या लटकाने के स्थल के ब्यौरे के साथ आवश्यक विवरण, रेखा चित्र या स्थल नक्शा और अन्य यथा अपेक्षित सूचनाओं के साथ विज्ञापनकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। यदि विज्ञापन किसी सार्वजनिक मार्ग के किनारे या पढ़री पर एंगिल आयरन या गर्डर पर विज्ञापन पट लटकाकर संप्रदर्शित किये जाने के लिये आशयित हो तो विज्ञापन का पूरा विवरण और उसका आकार भी आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

(4) यदि कोई विज्ञापन ऐसे निजी भवन, दीवार पर या ऐसी गली में, जो सड़क मार्ग, गली से दिखाई पड़ती हो, संप्रदर्शित किये जाने के लिये आशयित हो तो भूमि या भवन के सम्बद्ध के स्वामी की सहमित की

प्रमाणित प्रति भी आवेदन के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

(5) अधिशासी अधिकारी द्वारा विज्ञापन की अनुज्ञा "पहले आओ पहले पाओ" के अन्तर्गत दी जायेगी, किन्तु एक ही समय पर एक ही स्थल के लिये एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर सर्वाधिक अविध के लिये आवेदित आवेदक को अनुज्ञा के समय वरीयता दी जायेगी।

(6) यदि भूमि का कोई स्वामी किसी विज्ञापन को अपने निजी भूमि या अपने भवन की दीवार पर जो सड़क, मार्ग या किसी गली से दिखाई देता हो, संप्रदर्शित करना चाहता हो तो उसे आवेदन-पत्र के साथ

विस्तृत सूचना प्रदर्शित करनी होगी और नियमावली के अधीन अनुमति लेनी होगी।

(7) इस नियमावली से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट करों की दर के अनुसार आंगणित कर की धनराशि विज्ञापनकर्ता द्वारा जमा किये जाने के पश्चात् ऐसी शतों के अधीन रहते हुये जो सार्वजनिक सुरक्षा और शिष्टाचार के हित में अधिरोपित की जाये, अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।

(8) एक माह तक के विज्ञापन की अनुमति अधिशासी अधिकारी द्वारा तथा उससे अधिक की अनुमति

अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद, अकबरपुर के अनुमोदनोपरान्त जारी की जायेगी।

5—नियम 4 में निर्दिष्ट अनुज्ञा / अनुज्ञा के लिये आवेदन-पत्र अरवीकृत किया जा सकता है—
(1) यदि आवेदन-पत्र में सही अपेक्षित ब्योरे न हो, विज्ञापन की अशिष्ट, अश्लील या नग्न रेखा चित्र,

चित्र या मत का कोई प्रतीक हो।

- (2) यदि विज्ञापन द्वारा लोक शान्ति या प्रशान्ति भंग होने की आशंका हो या वह देखने में लोक व्यवस्था और सार्वजनिक एकता के विरुद्ध हो, या जिसके आंधी या तूफान ◄ गिरने के कारण या उससे यातायात में व्यवधान पड़ने के कारण या कि अन्य कारण से जीवन या सम्पत्ति को क्षति पहुंचने की आशंका हो।
 - (3) यदि स्थल अध्यक्ष / अधिशासी अधिकारी की युक्तियुक्त राय में अनुपयुक्त हो, या

(4) यदि विज्ञापन तत्समय प्रभावी किसी विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल हो।

(5) यदि विज्ञापन कर का यथासमय भुगतान न किया गया हो।
6—अनुज्ञा की अवधि—अनुज्ञा की अवधि वहीं होगी जो अनुज्ञा-पत्र में विनिर्दिष्ट वार्षिक अनुज्ञा, अनुज्ञा के दिनांक से 1 वर्ष की अवधि या उस वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक जिसमें अवधि स्वीकार की गयी, इनमें जो भी पहले हो, होगी।

7-कर का दायित्व-कर सम्पूर्ण वर्ष के लिये एक ही किस्त में देय होगा। सम्पूर्ण राशि प्रत्येक वित्तीय वर्ष में

अप्रैल माह में देय होगी।

8—विशेष विज्ञापन—अनुसूची में निर्दिष्ट विज्ञापन से भिन्न किसी विज्ञापन को संप्रदर्शित करने के लिये भें अधिशासी अधिकारी की अनुज्ञा प्राप्त की जायेगी और ऐसे विज्ञापन के लिये देय कर की धनराशि वह होगी, जो अधिशासी अधिकारी द्वारा नियत की जाये। ऐसे अनुज्ञा की अवधि अनुज्ञा के दिनांक से 01 वर्ष के लिये या उस वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक जिसमें अनुज्ञा स्वीकार की गयी है, इनमें से जो भी पहले हो, होगी।

9—दुकानों पर विज्ञापन—किसी दुकान का कोई विज्ञापन के पूर्व भुगतान के साथ अधिशासी अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा बिना कोई बोर्ड लटकाकर, स्टीकर चिपकाकर, रंगकर, लिखकर या किसी अन्य रीति से सम्प्रदर्शित करके

प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

10—नगरपालिका परिषद्, अकबरपुर द्वारा जनहित/पालिका हित में लगाये गये विज्ञापन, विज्ञापन कर से मुक्त होंगे।

स्पष्टीकरण-

(1) यदि दुकान का नाम बोर्ड लटकाकर, रंगकर या चाहे किसी अन्य रीति से संप्रदर्शित या प्रदर्शित किया गया हो तो उसे विज्ञापन नहीं समझा जायेगा और वह इस नियमावली के अधीन करादेय नहीं होगा।

(2) यदि किसी दुकान के नाम के साथ या स्वतंत्र रूप से किसी ऐसी वस्तु के विषय में उसके गुण आदि के बारे में उल्लेख हो, जो जन साधारण को विज्ञापन की भांति आकर्षित करता है तो इस नियमावली के अधीन करादेय होगा।

11—विज्ञापन को मिटाना—कोई विज्ञापन जिसे इस नियमावली के अधीन अनुज्ञा प्राप्त की गयी हो, ऐसी अनुज्ञा की समाप्ति के दिनांक से एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन या विज्ञापन प्रदर्शक संरचना (स्ट्रक्चर) को, जिसमें चल वाहन पर प्रदर्शित विज्ञापन भी सम्मिलित है, मिटा या हटा देगा।

12-अनुज्ञा के अन्तरण पर-इस नियमावली के अधीन दी गयी अनुज्ञा अनन्तरणीय होगी। विज्ञापन के

विवरण में भी अधिशासी अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

13-विज्ञापन पर निर्बन्धन-किसी संविदा में किसी प्रतिकूल वाद के होते हुये भी विज्ञापन पट्ट पर कोई विज्ञापन संप्रदर्शित नहीं किया जायेगा-

(1) यदि वह 12.2 मी0 x 6.1 मी0 से अधिक हो और उसका निचला भाग भूमि की सतह से 2 मीटर से

कम हो।

(2) सार्वजनिक भवन, नगर प्राचीर, दीवारों जैसे—अस्पताल, शिक्षण संस्था, सार्वजनिक कार्यालय, या राष्ट्रीय स्मारकों पर।

(3) अधिशासी अधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट भिन्न रंग से किसी निजी भवन की दीवार पर लिखकर या पेंट

करके।

(4) पालिका या राज्य सरकार द्वारा इस रूप में समय-समय पर घोषित प्रतिषिद्ध क्षेत्रों में होने पर।

(5) विज्ञापन प्रदर्शन में किसी अन्य विभाग या संस्था या व्यक्ति की अनुमति आवश्यक होने की स्थिति में अनुमति प्राप्त करने की जिम्मेदारी सम्बन्धित विज्ञापनकर्ता की होगी।

(6) प्रत्येक विज्ञापनं पट्टे / विज्ञापन मद पर स्वीकृत आदेश संख्या एवं वैद्यता तिथि का पठनीय रूप में

प्रदर्शन न किया गया हो।

14—अधिशासी अधिकारी के लिये यह विधिपूर्ण होगा कि वह इस नियमावली का उल्लंघन करके संप्रदर्शित किये जा रहे किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को हटा दे और ऐसे विज्ञापन को हटाने का खर्चा विज्ञापनकर्ता से अधिनियम के अध्याय-6 के अनुसार पालिका के देयों के रूप में वसूल किया जायेगा।

15-प्रतिकर-किसी अनाधिकृत विज्ञापन के हटा दिये जाने या मिटा दिये जाने की दशा में न तो कोई

प्रतिकर, न कोई अनुकल्पिक स्थल अनुमन्य होगा।

16-अनुज्ञा का नवीनीकरण-

(1) अनुज्ञा के नवीनीकरण की प्रक्रिया नियम-४ के अनुसार होगी और विहित प्रपत्र नवीनीकरण के लिये

आवेदन-पत्र नवीनीकरण की समाप्ति के दिनांक से 01 सप्ताह पूर्व प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) अधिशासी अधिकारी विज्ञापन के लिये अनुज्ञा के नवीनीकरण के किसी आवेदन-पत्र को लोकहित में या यातायात की सुविधा को विनियमित करने के लये अस्वीकार कर सकता है। 17—(1) कर नियम-7 के अनुसार अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर अग्रिम रूप में देय होगा।

(2) यदि विज्ञापन एक वर्ष या उसके भाग के लिये अभिप्रेत हो, तो कर प्रत्येक वर्ष अप्रैल के प्रथम दिवस के पूर्व या उस दिनांक के पूर्व जब विज्ञापन को प्रथम बार खड़ा किया गया, प्रदर्शित किया गया, जड़ा गया, रखा गया या संप्रदर्शित किया गया हो, इनमें से जो भी हो, वार्षिक आधार पर देय होगा।

ा (3) यदि 31 मार्च तक की अवधि 06 माह से अधिक न हो तो कर की धनराशि किसी वर्ष के लिये देय

क्र की आधी होगी।
(4) विज्ञापन पट्ट या बैनर लटकाये जाने की दशा में, कर उस दिनांक के पूर्व जब विज्ञापन को प्रथम बार संप्रदर्शित किया ज़ाये या ऐसे अनुवर्ती माहों के प्रथम दिनांक के पूर्व जिसके लिये संप्रदर्शन जारी रखा जाये, मासिक आधार पर देय होगा। 18-कर की वसूली-इस नियमावली के अधीन देय कर/बकाया कर की वसूली अधिनियम के अध्याय-6 के उपबन्धों के अनुसार की जायेगी।

19-किसी भी दशा में जमा विज्ञापन कर न तो वापस होगा और न ही उसे किसी भी रूप में समायोजित ही

किया जायेगा।

20—िनयमावली संशोधित किया जाना—पालिका हित/जनहित में इस नियमावली को उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन संशोधित करने का अधिकार नगरपालिका परिषद, अकवरपुर अम्बेडकर नगर बोर्ड में निहित होगा।

. विज्ञापन कर की दरें (विज्ञापनों पर जो समाचार-पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन न हों)

| विवरण- | - | (विशापनी पर जी समिचार-पत्री | A MANIKIKI 145II | 41 1 61) | |
|----------|---|--|-------------------------------------|---|--|
| | प्रवर क्षेत्र श्रेणी 1 श्रेणी 2 श्रेणी 3 | राष्ट्रीय राजमार्ग पर राज्य राजमार्ग पर | | रिराहा, 3-पटेलनगर तिराहा | |
| क्रमां | | विवरण | वर्गीकरण | देय कर (प्रतिवर्ष) | |
| 1 | 4 | मि, दीवाल और भवन सार्वजनिक स्थलों औ ।ङ्कों पुर विज्ञापन् या विज्ञापन पट्ट व | र प्रवर क्षेत्र हे श्रेणी-1 | रु० 600.00 प्रति वर्ग भी० रु० 60.00 प्रति वर्ग भी० | |
| | | मिर्ण और प्रदर्शन के लिये | श्रेणी-2 श्रेणी-3 | रु० ४०.०० प्रति वर्ग मी० रु० ३०.०० प्रति वर्ग मी० | |
| 2 | Я | यदि इस प्रकार के विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट विद्युत अंथवा इलेक्ट्रिग्निक प्रकाश युक्ति द्वार प्रतिबिम्बित हो तो गर्द 1 में विनिर्दिष्ट दरों पर 50% अविरिक्त टरें होगी। | | | |
| 3 | 1 | –शाक्त चालित चार पहिया वाहन एव अन् | य हलका वाहन | रु० 2500.00 प्रति वाहन प्रति माह | |
| | 2 | | भारी वाहन तीन पहिया चार पहिया | रु० 9500 प्रति वाहन प्रति माह रु० 30 प्रति वाहन प्रति दिन | |
| | | the les man is them where the fire | छः पहिया | रु० 100 प्रति वाहन प्रति दिन रु० 600 प्रति वाहन प्रति दिन | |
| 4 | বি | द्युत तथा अन्य खम्भों पर | प्रवर श्रेणी | रु० 1200 प्रति वर्ग मी० प्रति वर्ष | |
| | | AM VIRAS PARISHAD, LUCKNOW Question Section | श्रेणी-2 | रु० १००० प्रति वर्ग मा० प्रति वर्ष रु० ८०० प्रति वर्ग मी० प्रति वर्ष | |
| 5 | पो | पोस्टर श्रेणी-3 रु० 500 प्रति वर्ग मी० प्रति वर रु० 500 प्रति सैकड़ा प्रति गाह | | | |
| 6 | | खाः । | रु० २०० प्रति संकडा प्रति माह | | |
| 7 | | ताका (बैनर) ताका (झंडी) | | | |
| 8 | वि | द्युत या इलेक्ट्रानिक युक्त/परिवर्तनशील | । प्रवर श्रेणी | रु० ३०० प्रति वर्ग मी० प्रति वर्ष | |
| | ् स | देश चिन्हों सहित प्रदीप्त चिन्ह | 21"11-2 | रु० ३०० प्रति वर्ग मी० प्रति वर्ष रु० ७० प्रति वर्ग मी० प्रति वर्ष रु० ६० प्रति वर्ग मी० प्रति वर्ष | |
| 9 | ५ व्युट | बारे | रु० 150 प्रति हि | रु० ४० प्रति वर्ग मी० प्रति वर्ष | |
| 10 | 500 | नरी | रु० ५० प्रति दिन | रु० ५० प्रति दिन | |
| 11 | . रत | म्म (यूनीपोल) | उपयुक्त मद १ के अनुसार | | |
| 12 13 | वा | य प्रकार के विज्ञापन ल पेंटिंग | संपर्धति गर ४ के अनुगाउ | | |

शास्ति—1—इस नियमावली के किसी उपबन्ध का उल्लंधन/जुर्माने से जो रु० 1,000.00 तक हो सकता है, दण्डनीय होगा और उल्लंधन जारी रहने की दशा में अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथक उल्लंधन के लिये दोष सिद्ध होने के उपरान्त प्रत्येक ऐसे दिन के लिये जिसके दौरान उल्लंधन जारी रहता है, रु० 25.00 तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।

2-उप नियम-1 में निर्दिष्ट किसी बात के होते हुये भी इस नियमावली के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का प्रशमन, अपराध के लिये नियम अर्थदण्ड की अन्यून एक तिहाई धनराशि और अनधिक आधी धनराशि की वसूली अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा नामित किसी अधिकारी द्वारा किया जा सकता है।

> ह0 (स्पृष्ट) नगरपालिका परिषद्, अकबरपुर, अग्वेडकरनगर।